समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

क्रिसमस और नववर्ष पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला : रेस्टोरेटं और बार सुबह 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति

Sanket Morankar
Published on 27 Dec 2025

क्रिसमस और नववर्ष 2025 के जश्न से पहले महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने त्योहारों और वर्षांत समारोह को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट, बार, पब और होटल्स को विशेष अनुमति प्रदान की है, जिसके तहत वे **रातभर और सुबह 5 बजे तक खुले रह सकेगें**। सरकार के इस निर्णय से न केवल आम नागरिकों और पर्यटकों में उत्साह है, बल्कि होटल, पर्यटन और मनोरंजन उद्योग को भी बड़ी राहत मिली है।

महाराष्ट्र हमेशा से देश के प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्रों में शामिल रहा है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और गोवा से सटे तटीय क्षेत्रों में क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला **राज्य की नाइटलाइफ, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला** माना जा रहा है।

राज्य गृह विभाग और नगर निकायों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह छूट **केवल क्रिसमस और नववर्ष की निर्धारित तिथियों** के लिए लागू होगी। हालांकि, इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था, शांति और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सरकार के आदेश के मुताबिक, जिन रेस्टोरेंट और बार को सुबह 5 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है, उन्हें **ध्वनि प्रदूषण, यातायात नियमों और सार्वजनिक शांति** का विशेष ध्यान रखना होगा। लाउड म्यूजिक, निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज और खुले में शराब पीने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, होटल और बार मालिकों को सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला **पर्यटन को प्रोत्साहित करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने** के उद्देश्य से लिया गया है। क्रिसमस और नववर्ष के दौरान होटल इंडस्ट्री, टैक्सी सेवाएं, फूड इंडस्ट्री और छोटे व्यवसायों को

बड़ा लाभ होता है। लंबे समय तक संचालन की अनुमति मिलने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इस फैसले का **होटल और रेस्टोरेटं एसोसिएशनों ने स्वागत किया है**। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महामारी और आर्थिक मंदी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब सरकार के इस कदम से व्यवसाय को संजीवनी मिलेगी और राज्य की नाइट इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

वहीं, आम नागरिकों और युवाओं में भी इस निर्णय को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में पहले ही क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्लब्स, होटल्स और पब्स ने विशेष कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक, थीम पार्टियां और फैमिली इवेंट्स की घोषणाएं भी कर दी हैं।

हालांकि, सरकार ने **पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश** दिए हैं। क्रिसमस और नववर्ष की रात शराब पीकर वाहन चलाने, छेड़छाड़, हंगामा और अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

सामाजिक संगठनों और कुछ नागरिक समूहों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि लंबे समय तक बार और पब खुले रहने से शोर-शराबा और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि **सख्त नियमों और निगरानी के जरिए संतुलन बनाए रखा जाएगा**।

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला महाराष्ट्र को **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उत्सवप्रिय और पर्यटक-अनुकूल राज्य** के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे न केवल घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अनुमति **स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी** है और इसका दायरा केवल क्रिसमस और नववर्ष तक सीमित रहेगा। भविष्य में नाइटलाइफ से जुड़े नियमों में बदलाव जनता की प्रतिक्रिया और सुरक्षा हालात को देखकर ही किया जाएगा।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला **उत्सव, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का प्रयास** माना जा रहा है। जहां एक ओर लोग खुलकर नए साल का स्वागत कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटा रहेगा।

अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्रिसमस और नववर्ष की रात महाराष्ट्र के शहर किस तरह रोशनी, संगीत और उल्लास से जगमगाते हैं और सरकार का यह फैसला किस हद तक सफल साबित होता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.